भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

 **राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं० 2336**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार दिनांक 6 दिसंबर, 2016/15 अग्रहायण 1938(शक) को दिया जाना है)

**वस्‍तु एवं सेवा कर अवसंरचना और प्रबंध के अनुरक्षण हेतु एक अलग कंपनी**

**2336. श्रीमती जया बच्‍चन :**

क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या सरकार ने वस्‍तु एवं सेवा कर अवसंरचना और प्रबंध की स्‍थापना और अनुरक्षण के लिए एक स्‍वतंत्र कंपनी का गठन किया है और यदि हां, तो कंपनी के उद्देश्‍य क्या हैं;
2. क्‍या सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इस कंपनी में मुख्‍य हितधारक हैं; और
3. यदि हां, तो कंपनी में हितधारकों का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

1. : जी, हां। सरकार ने माल और सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्‍वयन के लिए केंद्र और राज्‍य सरकारों, कर दाताओं और अन्‍य स्‍टेकधारकों को साझा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी)-माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन-एसपीवी) की स्‍थापना की है। जीएसटीएन-एसपीवी को एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी (धारा 25), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत की जाने वाली निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में स्‍थापित किया गया है।
2. : केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्‍त रूप से धारित ईक्‍विटी 49 प्रतिशत और गैर-सरकारी संस्‍थानों द्वारा धारित ईक्‍विटी 51 प्रतिशत है। शेयरधारिता के आरेख से यह सुनिश्‍चित होता है कि केंद्र व्‍यक्‍तिगत रूप से और राज्‍य सामूहिक रूप से सर्वाधिक बड़े स्‍टेकधारक हैं जिसमें प्रत्‍येक की शेयरधारिता 24.5 प्रतिशत है। संयुक्‍त रूप से, सरकार की 49 प्रतिशत की शेयरधारिता किसी एकल निजी संस्‍थान से कहीं अधिक है।
3. : जीएसटीएन में वर्तमान शेयरधारिता का आरेख निम्‍नानुसार है:

|  |  |
| --- | --- |
| केंद्र सरकार  | 24.5% |
| राज्‍य सरकारें और 2 संघ राज्‍य क्षेत्र और अधिकार प्राप्‍त समिति संयुक्‍त रूप से  | 24.5% |
| एचडीएफसी लिमिटेड | 10% |
| एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 10% |
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 10% |
| एनएसई स्‍ट्रैटजिक इन्‍वेस्‍टमेंट का. लिमिटेड | 10% |
| एलआईसी हाऊसिंग फाइनैंस लिमिटेड | 11% |

\*\*\*\*\*